

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,

जे० एस० पब्लिक स्कूल मण्डला

गोंडा रोड अलीगढ़।

पत्रांक/ बे० मान्यता/ 7654

/2015-16/

दिनांक 18-7-15

विषय - निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए विस्तृत मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय

आपके तारीख 17.09.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जे० एस० पब्लिक स्कूल मण्डला गोंडा रोड अलीगढ़ (विद्यालय का नाम पते सहित) को ता. 01.07.2015 से तारीख 01.07.2020 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम विस्तृत मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

1 - मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 - विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 - विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 20 प्रतिशत तक आस- पदोष के कमजोर वर्गों और सुविधा- विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- पैरा-3 निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिप्रित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खता रखेगा।

5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता का संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6 - विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारन प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।

(2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।

(3)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा- 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(8)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में निवाजित नहीं करेगा।

7 - विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 - विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा- स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक- सह कार्यालय- सहभाडागोर के लिए कक्षा

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड- डे मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुँच

अद्यापन पठान सामग्री/ क्रीडा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा- स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाने चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 7654 है। कृपया इसे नोट कर लें इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17-संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़


Manager
J.S. Public School
Mandla Gonda Road, (Aligarh)



Mandla Gonda Road, (Aligarh)